



बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 7 स्था0 (2) अनुक0-05/2025.....

दिनांक- ...../2025

## आदेश

पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के पत्रांक 2259, दिनांक 26.06.2025 के द्वारा किये गये अनुरोध/अनुशंसा एवं कर्मी द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त निम्नांकित कर्मी के नियुक्ति पत्र (आदेश) को सम्पुष्ट किया जाता है :-

| क्र० सं० | निदेशालय का पत्रांक/दिनांक                                 | नाम/पदनाम                           | पदस्थापन कार्यालय                                  | अभ्युक्ति |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                                          | 3                                   | 4                                                  | 5         |
| 1        | 7 स्था0 (2) अनुक0-05/2025<br>2085 (नि०), दिनांक-02.06.2025 | इस्तियाज आलम,<br>निम्न वर्गीय लिपिक | पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन<br>संस्थान, बिहार, पटना। | -         |

संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित कर्मी की नियुक्ति आदेश में अंकित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा योगदान के समय संबंधित कर्मी द्वारा समर्पित आवश्यक प्रमाण पत्रों/कागजातों से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही अनुमान्य नियमित वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/-

(डॉ० अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक (मु०)।

पटना-15, दिनांक- 03/07/2025

ज्ञापांक:- 7 स्था0 (2) अनुक0-05/2025..... 2390 (10)

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-7, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव-सह-निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय आई०टी० मैनेजर को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)।